जनपद - संतकबीरनगर **प्रेस विज्ञप्ति** **दिनॉक 06-06-2021**

आज दिनांक 06.06.2021 को पुलिस अधीक्षक जनपद संतकबीरनगर **डा0 कौस्तुभ** के निर्देशन अपर पुलिस अधीक्षक **श्री संतोष कुमार सिंह** के मार्गदर्शन में जनपद में अपराध एवं अपराधियों के विरुद्ध चलाये जा रहे अभियान के क्रम में सन्तकबीरनगर पुलिस द्वारा किये गये सराहनीय कार्य –

आर्म्स एक्ट के अंतर्गत 01 अदद अवैध चाकू के साथ 01 अभियुक्त गिरफ्तार

थाना दुधारा पुलिस द्वारा आर्म्स एक्ट के अंतर्गत 01 अदद अवैध चाकू के साथ अभियुक्त नाम पता जहूरुल हसन पुत्र स्व0 मुर्तजा हुसैन निवासी भाटपारा बलुईपुर थाना दुधारा जनपद संतकबीरनगर को गिरफ्तार कर थाना दुधारा पर मु0अ0सं0 188 / 2021 धारा 4 / 25 शस्त्र अधिनियम पंजीकृत कर माननीय न्यायालय रवाना किया गया।

गिरफ्तार करने वाले पुलिस बल का विवरणः- उ0नि0 श्री आनन्द कुमार सिंह, हे0का0 कैलाश पाण्डेय।

शान्ति भंग (151/107/116 सीआरपीसी) मे 09 अभियुक्त गिरफ्तार

- **थाना महुली पुलिस द्वारा** 151 / 107 / 116 सीआरपीसी मे 08 अभियुक्त गिरफ्तार किया गया।
- **थाना बखिरा पुलिस द्वारा** 151 / 107 / 116 सीआरपीसी मे 01 अभियुक्त गिरफ्तार किया गया।

पीआरवी आफ द डे

पीआरवी 1498 द्वारा दो पक्षों में हो रहे विवाद / मारपीट को कराया गया शान्त – पीआरवी 1498 को थाना बेलहरकला क्षेत्रान्तर्गत निबिया से इवेन्ट संख्या 01705 से कालर ने किसी बात को लेकर मारपीट / विवाद होने के संबंध में सूचना दिया, सूचना मिलते ही पीआरवी कर्मियों द्वारा तत्काल घटनास्थल पर 09 मिनट में पहुँचकर विवाद को शान्त कराकर मारपीट में घायल हुए व्यक्ति को जरिये एम्बुलेंस प्रा0 स्व0 केन्द्र लोहरसन पहुँचाया गया तथा थाना बेलहरकला को सूचित किया गया। पीआरवी कर्मियों की सतर्कता एवं सूझबूझ से घटना स्थल पर समय से पहुंचकर विवाद को शान्त कराकर एक बड़ी घटना घटित होने से बचा लिया गया, जिसकी स्थानीय व्यक्तियों द्वारा सराहना की गयी।

पीआरवी स्टाफ –मु0आ0 बालजीत यादव, आ0 धर्मेन्द्र कुमार, हो0गा0 देवेन्द्र नारायण शुक्ल।

मोटर वाहन अधिनियम के अन्तर्गत 117 वाहनो से 94000 रु0 सम्मन शुल्क वसूल किया गया

आज दिनांक 06.06.2021 को जनपद संतकबीरनगर के सभी थाना क्षेत्रो मे बैंक / वाहन / संदिग्ध व्यक्तियों की चेकिंग के दौरान समस्त प्रभारी निरीक्षक / थानाध्यक्ष / प्रभारी यातायात द्वारा मोटर वाहन अधिनियम के अन्तर्गत कड़ी कार्यवाही करते हुए 117 वाहनो से 94000 रु0 सम्मन शुल्क वसूल किया गया।